भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2270

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला खानों के ओवरबर्डन (ओबी) डंप

2270. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कोयला खानों के ओवरबर्डन (ओबी) डंप की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त ओवरबर्डन डंप छत्तीसगढ़ की कोयला खानों में एक बड़ी समस्या है;

(ग) क्या सरकार ने वहाँ समतलीकरण करके विस्थापित लोगों को पुनर्वासित करने का प्रस्ताव रखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई पहल करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन खनन क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को किस प्रकार ओवरबर्डन डंपों की गंभीर समस्याओं का समाधान मिलने की संभावना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : कोयला मंत्रालय देश में कोयला खानों के ओवरबर्डन (ओबी) डम्पों की अस्थिरता से उत्पन्न समस्याओं से अवगत है। ओवरबर्डन डम्प की अस्थिरता, यदि कोई हो, से जुड़ी प्रमुख समस्या ओबी डम्प की विफलता के कारण डंप सामग्री का खिसकना है। तथापि, ओबी/अपशिष्ट डंपों के ढलानों की ऐसी विफलता को रोकने के लिए कोयला खान विनियम (सीएमआर) -2017 के विनियमन संख्या 106 एवं 108 के तहत विभिन्न सांविधिक प्रावधान किए गए हैं।

(ख) : छत्तीसगढ़ की कोयला खानों में ओबी डंप बड़ी समस्या नहीं है।

(ग) : वर्तमान में, उक्त भूमि को समतल करके विस्थापित लोगों के पुनर्वास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) : ओबी डम्पों की समस्या के समाधान के लिए, कोयला खान विनियम 2017 (सीएमआर, 2017) के विनियम 106 में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ओपनकास्ट कोयला खान शुरू करने से पहले कार्य करने की विधि, अल्टीमेट पिट स्लोप, डंप ढलान और डंप स्थिरता की निगरानी संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। सीएमआर 2017 के विनियम 108 के तहत स्थायित्व के लिए स्पॉयल बैंक और डंपों के लिए पर्याप्त प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अलावा, ओपनकास्ट कोयला खानों में ढलानों के वैज्ञानिक अध्ययन और व्यवस्थाबद्ध निगरानी के लिए दिशानिर्देश डीजीएमएस (टेक) के वर्ष 2020 के परिपत्र संख्या क्रमशः 03 और 02 के माध्यम से जारी किए गए हैं। कोयला खानों में जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सुरक्षा प्रबंधन योजना के संबंध में सीएमआर 2017 के विनियम 104 में प्रावधान किए गए हैं जिसमें डंप स्थिरता की निगरानी के लिए उचित नियंत्रण उपाय और अनुसरण किए जाने वाले एसओपी भी शामिल हैं।

इसके अलावा, ओवरबर्डन डम्प ज्यामिति, इसके स्थान और स्थिरता के लिए खानों के निरीक्षण के दौरान डीजीएमएस द्वारा ओवरबर्डन डम्पों का निरीक्षण किया जाता है। किसी प्रकार के उल्लंघन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

*****